Helpline No.:-+91 7597122440
जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर, (राज.) - 302026
वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्सः 0141 - 2850551–75

यू.ओ. नोट

प्रमुख सचिव राज्यपाल, राजस्थान से प्राप्त पत्रांक F5(2)E&A/GRF/15-16/3005 दिनांक 31.05.2023 की प्रति संलग्न कर लेख है कि गवर्नर्स रिलीफ फण्ड विनियम 1973 के तहत राज्यपाल राहत कोष का संचालन किया जा रहा है। माननीय राज्यपाल, राजस्थान इस कोष के अध्यक्ष है। राहत कोष में राज्य के सेवाभावी व्यक्तियों द्वारा दान–योगदान दिया जाता रहा है। जिसका उपयोग माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशनुसार राज्य में निम्नांकित कार्य हेतु राहत / सहायता उपलब्ध कराने में किया जाता हैः–

1. अकाल एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों को सहायता।
2. प्राकृतिक आपदाओं यथा अग्निकाण्ड, बाढ़ एवं दुर्घटना में सहायता।
3. प्रदेश में महामारी, अतिवृष्टि, टिड्डी, ओलावृष्टि तथा अन्य आपदा क्षेत्रों में फसल नुकसान, औषधि एवं उपकरणों हेतु सहायता।
4. माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अन्य जा भी कारण उचित समझे जहां तात्कालिक आवश्यकता हो।

राज्यपाल राहत कोष से वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 में क्रमशः राशि रूपये 70.00 लाख, 50.00 लाख एवं 200.00 लाख राज्य में बाढ एवं कोरोना माहमारी में राज्य के नागरिकों को राहत हेतु सहायता उपलब्ध कराई गई।

भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, जयपुर के खता संख्या 61015837787 एवं आई.एफ.एस.सी.कोड SBIN0031031 में चैक / एन.ई.एफ.टी. / राजभवन, जयपुर की वेबसाइट WWW.rajbhawan.rajasthan.gov.in पर क्यूआर कोड स्केन कर राज्पपाल राहत कोष में दान दिया जा सकता है। राज्यपाल राहत कोष में दी गई राशि पर दानदाताओं को आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अन्तर्गत दान राशि पर 50 प्रतिशत की छूट देय है। अतः विश्वविद्यालय के एल्यूमीनाई संगठनों को उपर्युक्त वर्णित कार्यो में अधिक से अधिक दान देने हेतु अभिप्रेरित करने का अनुरोध किया है।

पत्र की प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

14/6/23
कुलसचिव

1. समस्त कार्मिक / शिक्षकों / अधिकारियों जराराससंविवि, जयपुर।
2. प्रभारी वेबसाइट जरारासंविवि, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संलग्न पत्र मय यू. ओ. नोट को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।

क्रमांकः–प.(162) / जरारासंविवि / संस्था / 23 / 1588-89
दिनांकः– 14/6/23

प्रमुख सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

सत्यमेव जयते

राजभवन, जयपुर - 302 006
राजस्थान,
फोन : +91-141-2228792
फैक्स : +91-141-2221156

F5(2)E&A/GRF/15-16/3005
दिनांक : 31 मई, 2023

कुलपति,
जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान
संस्कृत विश्वविद्यालय,
जयपुर।

विषयः– राज्यपाल राहत कोष में दान दिये जाने हेतु दानदाताओं को अभिप्रेरित करने बाबत्।

महोदय,

गवर्नर्स रिलीफ फण्ड विनियम 1973 के तहत राज्यपाल राहत कोष का संचालन किया जा रहा है। माननीय राज्यपाल, राजस्थान इस कोष के अध्यक्ष है। राहत कोष में राज्य के सेवाभावी व्यक्तियों द्वारा दान/योगदान दिया जाता रहा है। जिसका उपयोग माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार राज्य में निम्नांकित कार्य हेतु राहत/सहायता उपलब्ध कराने में किया जाता है:–

1. अकाल एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों को सहायता।
2. प्राकृतिक आपदाओं यथा अग्निकाण्ड, बाढ एवं दुर्घटना में सहायता।
3. प्रदेश में महामारी, अतिवृष्टि, टिड्डी, ओलावृष्टि तथा अन्य आपदा क्षेत्रों में फसल नुकसान, औषधि एवं उपकरणों हेतु सहायता।
4. माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अन्य जो भी कारण उचित समझे जहां तात्कालिक आवश्यकता हो।

राज्यपाल राहत कोष से वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21, एवं 2021–22 में क्रमशः राशि रूपये 70.00 लाख, 50.00 लाख एवं 200.00 लाख राज्य में बाढ एवं कोरोना माहमारी में राज्य के नागरिकों को राहत हेतु सहायता उपलब्ध कराई गई।

भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, जयपुर के खाता संख्या 61015837787 एवं आई.एफ.एस.सी.कोड SBIN0031031 में चैक/एन.ई.एफ.टी./राजभवन, जयपुर की वेबसाइट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in पर क्यूआर कोड स्केन कर राज्यपाल राहत कोष में दान दिया जा सकता है। राज्यपाल राहत कोष में दी गई दान राशि पर दानदाताओं को आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अन्तर्गत दान राशि पर 50 प्रतिशत की छूट देय है।

अतः विश्वविद्यालय के एल्यूमीनाई संगठनों को उपर्युक्त वर्णित कार्यो में अधिक से अधिक दान देने हेतु अभिप्रेरित करने का अनुरोध है।

भवदीय,

(सुबीर कुमार)

Registrar
31/05/23
1442-VCSec
01-06-23

Letter no 3005 on dated 31.5.2023

From: Principal Secretary/Raj Bhawan (secretary.rb@rajasthan.gov.in)

To: jrrsujpr@rajasthan.gov.in; jrrsu@yahoo.com

Date: Wednesday, 31 May, 2023 at 03:32 pm IST

Respected Sir,

Please find attached letter.

Regards,

Subir Kumar, IAS
Principal Secretary to Hon'ble Governor of Rajasthan,
Raj Bhawan, Civil Lines,
Jaipur-302006 (Raj.)
Phone: 0141-2228792
Fax: 0141-2221156

NEW-1: **Rajasthan Single Sign On (RajSSO) -** One Digital Identity (username and password) for various state government applications. Please register/ logon at http://rajasthan.gov.in and click "SSO Sign-in".
NEW-2: **RajMAIL** - FREE Govt. Email A/c (yourname@rajasthan.in). Download RAJMAIL mobile app from Google Play Store today and enjoy FREE Webmail Service with option to add Hindi Email address
<आपकानाम@राजस्थान.भारत>

---

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

vc sanskrit.pdf
363.7kB